निर्माणाधीन परियोजनाओं के ठेकेदारों से फॉर्म-V प्राप्त करने की मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

1. उद्देश्य: यह मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्माणाधीन परियोजनाओं में शामिल ठेकेदारों से फॉर्म-**V** प्राप्त करने और कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग (सीईडी) को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना और परियोजना निष्पादन के दौरान पर्यावरणीय पहलुओं की प्रभावी निगरानी की सुविधा प्रदान करना है।

2. कार्य-क्षेत्र: यह एसओपी टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर लगे ठेकेदारों पर लागू होती है। इसमें फॉर्म-V प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है, जो पर्यावरण नियमों के तहत अनिवार्य है।

3. दायित्व :

परियोजनाएं:

- अपनी परियोजनाओं में इस एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ठेकेदारों से प्रपत्र-V से संबंधित जानकारी के संग्रह की निगरानी करना।

ठेकेदार:

- प्रपत्र-V के अनुसार पर्यावरणीय नियमों के तहत सटीक और पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाना।
- परियोजनाओं से प्रपत्र-V के अनुसार सूचनाएं प्राप्त करना एवं संकलित करना।
- प्रपत्र-V को परियोजना पर्यावरण प्रमुख को समय पर जमा करना।

कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग (सीईडी):

- परियोजनाओं से प्रपत्र -V के अनुसार जानकारी प्राप्त करना और संकलित करना।
- अनुपालन की निगरानी करना और प्रपत्र -V के डेटा के आधार पर पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना।

4. प्रक्रिया:

4.1. **परियोजना का प्रारम्भ:**

- एक निर्माणाधीन परियोजना के प्रारंभ में, परियोजना पर्यावरण विभाग ठेकेदार को पर्यावरण नियमों के अनुसार प्रपत्र -V जमा करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करेगा।
- ठेकेदार को प्रपत्र-V को पूरा करने के लिए आवश्यक विशिष्ट जानकारी और दस्तावेज़ो से से अवगत कराया जाता है।

4.2 **प्रपत्र-V जमा करना**

- ठेकेदार प्रपत्र -V प्रारूप में निर्दिष्ट सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्र और संकलित करता है।
- प्रपत्र-V को पर्यावरण नियमों के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण रूप से भरकर परियोजना पर्यावरण विभाग को जमा किया जाता है।
- परियोजना पर्यावरण विभाग ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-V की पूर्णता और सटीकता की पुष्टि करता है।

4.3 **सीईडी को रिपोर्ट करना**

- परियोजना पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजना के भीतर ठेकेदारों से प्रपत्र-V निवेदन संकलित करता है।
- परियोजना प्रबंधक पर्यावरण नियमों में निर्दिष्ट या सीईडी द्वारा आवश्यकता के अनुसार नियमित आधार पर सीईडी के अनुपालन में प्रपत्र -V की सूचनाएं संकलित करते हैं।

4.4 सत्यापन और अनुपालन

- सीईडी पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन का आकलन करने के लिए जमा किए गए प्रपत्र -V की समीक्षा करना।

- सीईडी प्रपत्र-V में दी गई जानकारी के आधार पर किसी भी संभावित पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की पहचान करता है।

4.5 संशोधनात्मक कार्रवाई

- यदि किसी गैर-अनुपालन या पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की पहचान की जाती है, तो सीईडी मुद्दों को उजागर करने और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने के लिए परियोजना पर्यावरण विभाग के साथ वार्तालाप करता है।

4.6 रिकॉर्ड रखना: सीईडी सभी जमा प्रपत्र-V का और संबंधित संचार का एक व्यापक रिकॉर्ड रखता है।

5. समीक्षा और संशोधन: इस एसओपी की वार्षिक या आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाएगी ताकि इसकी प्रभावशीलता और पर्यावरणीय नियमों के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।

6. सतत सुधार: टीएचडीसीआईएल निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों से प्रपत्र-V प्राप्त करने की प्रक्रिया का लगातार मूल्यांकन और सुधार करेगा और सततता को बढ़ावा देगा।

जिम्मेदार विभाग या एसएमई आवश्यक प्रारूप और सामग्री दिशानिर्देशों के अनुसार सोल का मसौदा तैयार करता है।